The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Issue 9 | September 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

कानून और वास्तविकता के बीच: भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की समकालीन स्थिति

नेहा पाल

पीएचडी शोधार्थी, सतत शिक्षा एवं विस्तार विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली – 110007

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.17327122

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 25-09-2025

Published: 10-10-2025

Keywords:

ABSTRACT

यह शोधपत्र समकालीन भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की जटिल स्थिति की पड़ताल करता है और यह तर्क प्रस्तुत करता है कि प्रगतिशील कानूनी ढांचे और समुदाय की सामाजिक आर्थिक-वास्तविकताओं के बीच एक गहरी खाई मौजूद है। यह *नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी)NALSA) बनाम भारत संघ)2014)* के ऐतिहासिक निर्णय और उसके पश्चात लागू हुए *ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम), 2019* का विश्लेषण करता है, जिसमें मौलिक अधिकारों के कानूनी हनन और कमजोर पड़ने को रेखांकित किया गया है। यह शोध शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में प्रणालीगत बाधाओं की भी जांच करता है, जिन्हें ऐतिहासिक कलंक और व्यापक हिंसा से जोड़ा गया है। समुदाय की सक्रियता और विकसित होती मीडिया की भूमिका का विश्लेषण करते हुए, यह निष्कर्ष निकलता है कि वास्तविक समानता प्राप्त करने के लिए केवल कानूनी मान्यता पर्याप्त नहीं है इसके लिए संरचनात्मक असमानताओं का समाधान करना और सच्चे सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना आवश्यक है।

परिचय :विरोधाभासों की विरासत

भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की स्थिति गहरे विरोधाभासों का अध्ययन है—एक ऐसा परिदृश्य जहाँ ऐतिहासिक सम्मान और समकालीन उपेक्षा साथसाथ मौजूद हैं। वेदों और मुग़ल परंपराओं में जड़ें रखने वाला प्राचीन -

भारतीय समाज लिंग की समझ में उल्लेखनीय लचीलापन दिखाता था। *रामायण* और *महाभारत* जैसे प्राचीन ग्रंथों में तीसरे लिंग के पात्रों का उल्लेख मिलता है, और *हिजड़ा* समुदाय—जिसमें ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और नपुंसक लोग शामिल होते हैं—को समाज में सम्मानित और कभीकभी शक्तिशाली भूमिकाओं में देखा जाता था। - उन्हें आध्यात्मिक शक्तियों से युक्त माना जाता था, विशेष रूप से आशीर्वाद देने की क्षमता के लिए। मुग़ल साम्राज्य के दौरान वे सामाजिक तानेबाने में एकीकृत थे-, दरबारों में सेवा करते थे और उन्हें विश्वसनीय संरक्षक माना जाता था।

हालाँकि यह ऐतिहासिक स्वीकार्यता ब्रिटिश उपनिवेश काल में व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दी गई। पश्चिमी दुनिया की कठोर लिंग द्वैध)binary) की अवधारणा और विक्टोरियन नैतिकता ने गैरपरंपरागत पहचानों को रोगग्रस्त - और अपराध की श्रेणी में डाल दिया।1871 का *क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट* विशेष रूप से हिजड़ा समुदाय को निशाना बनाते हुए उन्हें 'अपराधी जाति' घोषित करता था और सार्वजनिक स्थलों से प्रतिबंधित करता था। वहीं, भारतीय दंड संहिता की *धारा 377* ने गैरप्रजनन यौन व्यवहार को अपराध घोषित किया-, जिससे उनकी कानूनी और सामाजिक पहचान को लगभग मिटा दिया गया।

यह औपनिवेशिक कलंक की विरासत आज के भारत पर एक लंबी छाया डालती है। हालाँकि भारत ने कानूनी रूप से ट्रांसजेंडर अधिकारों को मान्यता देने में उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी समाज में गहराई तक जमी दुश्मनी और भेदभाव अब भी विद्यमान हैं। 2011 की जनगणना में पहली बार आधिकारिक रूप से ट्रांसजेंडर जनसंख्या को गिना गया, जिसमें 4.88 लाख व्यक्तियों का आंकड़ा सामने आया—हालाँकि इसे व्यापक रूप से एक गंभीर कम आकलन माना जाता है। यह आधिकारिक मान्यता ऐतिहासिक अदृश्यता से एक प्रस्थान को दर्शाती है, लेकिन साथ ही यह आधुनिक ट्रांसजेंडर अनुभव के केंद्रीय विरोधाभास को भी उजागर करती है : अस्तित्व-प्रगतिशील कानूनी घोषणाओं का सह, जमीनी स्तर पर फैले भेदभाव, हिंसा और सामाजिकआर्थिक - बहिष्करण के साथ।

यह शोधपत्र तर्क देता है कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट का 2014 का *NALSA* निर्णय ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए एक संवैधानिक मील का पत्थर था, वहीं इसके बाद के विधायी और प्रशासनिक कदम—विशेष रूप से *ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम (अधिकारों का संरक्षण), 2019*—इन उपलब्धियों को कमजोर करते हैं। अधिकारों की वास्तविक प्राप्ति आज भी सामाजिक बहिष्कार, शिक्षा में बाधाएँ, रोजगार में भेदभाव और अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं के एक आत्मपोषित चक्र से गंभीर रूप से बाधित है। यह कानूनी वादों और वास्तविक जीवन अनुभवों -

के बीच एक गहरी खाई उत्पन्न करता है, जिसे ट्रांसजेंडर समुदाय की लगातार जूझती सक्रियता और दृढ़ता भरने का प्रयास करती है।

अनुभाग 1: कानूनी परिदृश्य – प्रदान किए गए अधिकार और विवादित अधिकार

पिछले एक दशक में भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों की कानूनी यात्रा, न्यायपालिका की अधिकारआधारित - दृष्टिकोण और विधायिका की अधिक रूढ़िवादी, राज्यनियंत्रित रूपरेखा के बीच एक मूलभूत तनाव को उजागर- करती है। इसका परिणाम एक ऐसा कानूनी ढांचा है जो सिद्धांततः प्रगतिशील है, लेकिन व्यवहार में गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण।

1.1 NALSA बनाम भारत संघ)2014) निर्णयएक संवैधानिक मील का पत्थर :

15 अप्रैल 2014 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने *नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी) NALSA) बनाम भारत संघ* मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया, जिसने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की कानूनी स्थिति को मूल रूप से बदल दिया। इस निर्णय में न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी रूप से "तीसरे लिंग" के रूप में मान्यता दी और यह पुष्टि की कि संविधान द्वारा प्रदत्त सभी मौलिक अधिकार उनके लिए भी समान रूप से लागू हैं। यह निर्णय संविधान के मुख्य सिद्धांतों की एक सशक्त व्याख्या पर आधारित था:

- **अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार:(** न्यायालय ने माना कि किसी व्यक्ति की लिंग पहचान को न मानना, उसे कानून की समान सुरक्षा से वंचित करना है।
- **अनुच्छेद 15 और 16 (भेदभाव के विरुद्ध अधिकार:(** न्यायालय ने) "लिंग"sex) शब्द की व्यापक व्याख्या करते हुए इसमें) "लिंग पहचान"gender identity) को भी शामिल किया, और इस प्रकार जीवन के सभी क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ भेदभाव को अवैध ठहराया।
- **अनुच्छेद 19(1)(क:(वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) (** इस अधिकार को इस रूप में विस्तारित किया गया कि व्यक्ति अपने स्वयं द्वारा चुने गए लिंग की अभिव्यक्ति वस्त्र, शब्दों, क्रियाओं या किसी भी व्यवहार के माध्यम से कर सकते हैं।
- **अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार:(** न्यायालय ने कहा कि गरिमा का अधिकार, जो अनुच्छेद 21 का एक प्रमुख तत्व है, व्यक्ति की लिंग की आत्मपहचान के अधिकार को -

भी समाहित करता है। लिंग पहचान को व्यक्ति की व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग और उसकी व्यक्तिगत स्वायत्तता का मूलभूत पहलू माना गया।

विशेष रूप से महत्वपूर्ण यह था कि *NALSA* निर्णय ने **स्व) पहचान-Self-identification)** को लिंग निर्धारण का एकमात्र आधार स्वीकार किया। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी व्यक्ति को उनकी लिंग पहचान की कानूनी मान्यता के लिए **चिकित्सकीय या जैविक परीक्षण**, जैसे कि **लिंग पुन:निर्धारण सर्जरी)SRS)**, से गुजरने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

साथ ही, न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए, जिनमें शामिल थे:

- तीसरे लिंग को कानूनी मान्यता देना,
- ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सामाजिक कल्याण योजनाएँ बनाना,
- कलंक के विरुद्ध जनजागरूकता अभियान चलाना-,
- और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को "सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग" के रूप में मान्यता देते हुए शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण प्रदान करना।

1.2 ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019: प्रावधान और खामियाँ

NALSA निर्णय के पाँच साल बाद, भारतीय संसद ने **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019** पारित किया। इस अधिनियम का घोषित उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए प्रावधान करना था, तथा शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में उनके साथ भेदभाव पर रोक लगाना था। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:

- **पहचान प्रमाण पत्र (Certificate of Identity):** यह अधिनियम कानूनी मान्यता के लिए दो-स्तरीय प्रक्रिया स्थापित करता है। पहले चरण में व्यक्ति को "ट्रांसजेंडर" के रूप में पहचान प्रमाण पत्र के लिए ज़िलाधिकारी (District Magistrate) के पास आवेदन करना होता है। यदि व्यक्ति बाद में पुरुष या महिला के रूप में लिंग परिवर्तन की शल्य चिकित्सा कराता है, तो वह एक संशोधित प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है।

- **भेदभाव का निषेध:** यह अधिनियम शैक्षिक संस्थानों, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक संसाधनों तक पहुँच के संदर्भ में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषिद्ध करता है। साथ ही, हर संस्था को एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश देता है।

- **कल्याणकारी उपाय:** सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह कल्याण योजनाएँ बनाए, एस.आर.एस. (Sex Reassignment Surgery) और हार्मोन थेरेपी जैसी स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराए, चिकित्सा पाठ्यक्रमों की समीक्षा करे ताकि ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य ज़रूरतों को संबोधित किया जा सके, और अलग एचआईवी निगरानी केंद्र स्थापित करे।

- **अपराध और दंड:** यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को जबरन श्रम में झोंकने, उन्हें सार्वजनिक स्थानों से वंचित करने, या उनके साथ शारीरिक, यौन, मौखिक, मानसिक या आर्थिक दुर्व्यवहार जैसे कृत्यों को अपराध घोषित करता है। इन अपराधों के लिए 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है।

1.3 आलोचनात्मक विश्लेषण: स्व-पहचान का क्षरण और पहचान की नौकरशाहीकरण

हालाँकि 2019 का अधिनियम "संरक्षण" के नाम से जारी किया गया है, लेकिन इसे ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं और विधि विशेषज्ञों द्वारा व्यापक रूप से आलोचना का सामना करना पड़ा है क्योंकि यह *NALSA* निर्णय की भावना और निर्देशों को मूलतः कमजोर करता है। यह कानून एक प्रकार की **कानूनी द्वैतता** (legal schizophrenia) को दर्शाता है—जहाँ न्यायपालिका की अधिकार-आधारित स्वायत्तता की अवधारणा को विधायिका द्वारा थोपी गई राज्य-नियंत्रित, चिकित्सकीय प्रणाली से बदल दिया गया है। इससे एक अस्थिर और परस्पर विरोधाभासी कानूनी ढाँचा उत्पन्न होता है।

NALSA निर्णय से सबसे बड़ा विचलन यह है कि इसमें जहां **स्व-पहचान (self-identification)** को मान्यता दी गई थी, वहीं 2019 के अधिनियम में इसे एक **नौकरशाही प्रमाणन प्रक्रिया** से बदल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने लिंग पहचान को गरिमा और अभिव्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों में निहित माना था—एक ऐसा पहलू जिसे व्यक्ति स्वयं घोषित करता है। परंतु 2019 का कानून इस नियंत्रण को व्यक्ति से हटाकर एक राज्य अधिकारी—**जिलाधिकारी**—को सौंप देता है, जिससे पहचान एक **मूल अधिकार** से बदलकर एक **अनुमति-आधारित दर्जा** बन जाती है, जिसे आवेदन देकर प्राप्त करना होता है।

इस अधिनियम में एक स्पष्ट आंतरिक विरोधाभास भी है: एक ओर यह कहता है कि एक मान्यता प्राप्त ट्रांसजेंडर व्यक्ति को "स्व-निर्धारित लिंग पहचान" का अधिकार है, वहीं दूसरी ओर यह प्रमाणित पहचान के लिए **सरकारी दस्तावेज़** को अनिवार्य बनाता है, जिससे "स्व-पहचान" की अवधारणा कानूनी रूप से अस्पष्ट हो जाती है।

इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम पुनः एक **चिकित्सकीय मॉडल** को पुनर्जीवित करता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति पुरुष या महिला के रूप में संशोधित पहचान चाहता है, तो उसे **शल्य चिकित्सा का प्रमाण** देना अनिवार्य है—जो *NALSA* के स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन है कि ऐसी कोई चिकित्सा अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। यह कानून सुरक्षा का एक **भ्रामक आभास** भी देता है। यद्यपि इसके गैर-भेदभाव प्रावधान सतही रूप से प्रगतिशील लगते हैं, लेकिन इसके **कमज़ोर दंडात्मक ढाँचे** के कारण यह प्रभावहीन हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, ट्रांसजेंडर व्यक्ति के विरुद्ध यौन शोषण के लिए अधिकतम सज़ा केवल **दो वर्ष** है—जबकि भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत सिसजेंडर महिलाओं के विरुद्ध ऐसे ही अपराधों में **आजीवन कारावास** तक का प्रावधान है। यह अंतर यह संदेश देता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ हिंसा **कम गम्भीर** अपराध है—जो उनके जीवन के मूल्य को कमतर करता है और प्रभावी निरोधक तंत्र तैयार नहीं करता।

अधिनियम में "**परिवार**" की परिभाषा को केवल जन्म-परिवार तक सीमित करना भी एक बड़ी समस्या है। यह उस वास्तविकता को नजरअंदाज करता है कि कई ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपने जन्म परिवारों से हिंसा और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, और **हिजड़ा समुदाय** में **घरों** और **चुने हुए परिवारों (chosen families)** की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

इन कमियों के चलते इस अधिनियम को अदालत में चुनौती दी गई है। प्रमुख ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता जैसे **ग्रेस बानू** सहित कई लोगों द्वारा एक **रिट याचिका** दायर की गई है, जिसमें अधिनियम की प्रमुख धाराओं को **असंवैधानिक** और **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन** बताया गया है।

तालिका 1: भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए प्रमुख कानूनी मील के पत्थर

NALSA बनाम भारत संघ (2014) के सिद्धांत	**ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के प्रावधान**
स्व-पहचान का अधिकार: लिंग पहचान व्यक्ति की जन्मजात, स्व-निर्धारित पहचान पर आधारित है।	**राज्य-प्रमाणित पहचान**: जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए

	आवेदन आवश्यक है।
कोई चिकित्सकीय/शल्य आवश्यक नहीं: कानूनी मान्यता किसी चिकित्सा प्रक्रिया (जैसे SRS) पर निर्भर नहीं है।	**शल्य अनिवार्यता**: पुरुष या महिला के रूप में संशोधित प्रमाण पत्र केवल सर्जरी के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है।
सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता: शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण के लिए सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) का निर्देश।	**कल्याण योजनाओं के लिए अस्पष्ट प्रावधान**: सरकार को योजनाएँ बनाने का निर्देश, पर आरक्षण के लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं।
समग्र कल्याण के लिए निर्देश: स्वास्थ्य, स्वच्छता और जन-जागरूकता के लिए सक्रिय उपायों का आदेश।	**गैर-भेदभाव प्रावधान**: भेदभाव पर रोक का प्रावधान, लेकिन दंड और प्रवर्तन की प्रक्रिया कमजोर है।

अनुभाग 2: सामाजिक-आर्थिक खाई: शिक्षा और आजीविका में बाधाएँ

कानूनी अधिकारों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की वास्तविक ज़िंदगी के बीच का अंतर सबसे स्पष्ट रूप से उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर में दिखाई देता है। पारिवारिक अस्वीकृति और सामाजिक कलंक से शुरू होने वाला हाशिये पर धकेलने का यह चक्र, शिक्षा से बहिष्करण की ओर ले जाता है, जिससे रोजगार में गंभीर भेदभाव होता है। यह दमनकारी व्यवस्था समुदाय के अधिकांश सदस्यों को असुरक्षित आजीविकाओं की ओर धकेलती है, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा और भी गहरी हो जाती है।

2.1 शिक्षा: बहिष्करण और ड्रॉपआउट की कहानी

भारत में शैक्षणिक संस्थानों को सभी के लिए सुरक्षित स्थान माना जाता है, लेकिन ये अक्सर ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए शत्रुतापूर्ण वातावरण बन जाते हैं, जिससे शैक्षणिक उपलब्धि में गंभीर असमानता देखने को मिलती है। 2011 की जनगणना में ट्रांसजेंडर समुदाय की साक्षरता दर केवल **56.1%** पाई गई, जो राष्ट्रीय औसत **74.04%** से काफी कम है। 2017 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि लगभग आधे ट्रांसजेंडर लोगों ने कभी स्कूल में पढ़ाई की ही नहीं।

इस शैक्षणिक संकट के कई आपस में जुड़े हुए कारण हैं:

- **पारिवारिक अस्वीकृति और बेघरपन:** यह बहिष्करण अक्सर घर से शुरू होता है। बहुत से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपनी लिंग पहचान प्रकट करने पर कम उम्र में ही घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है या उन्हें घर से निकाल दिया जाता है, जिससे उनकी शिक्षा बीच में ही रुक जाती है और सहारा देने वाला कोई नहीं बचता।

- **लगातार बदमाशी और हिंसा:** जो छात्र स्कूल जाते भी हैं, उन्हें वहां ट्रांसफोबिक बदमाशी, मौखिक उत्पीड़न, और शारीरिक व यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है – यह सब साथी छात्रों और स्टाफ दोनों की ओर से होता है। यह भय और आघात का माहौल बनाता है, जिससे ड्रॉपआउट की दर बहुत अधिक हो जाती है।

- **प्रणालीगत और बुनियादी ढांचे की बाधाएँ:** शैक्षणिक संस्थाएं ट्रांसजेंडर छात्रों का समर्थन करने में प्रणालीगत रूप से अक्षम हैं। जेंडर-न्यूट्रल शौचालयों की कमी, आधिकारिक दस्तावेज़ों में नाम और लिंग बदलवाने की कठिन और अक्सर व्यर्थ प्रशासनिक प्रक्रिया, और शिक्षकों तथा कर्मचारियों की असंवेदनशीलता एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें ट्रांसजेंडर छात्र अपने आप को अलग-थलग और अस्वीकृत महसूस करते हैं। पूर्वोत्तर भारत की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर डॉ. बियोंसी लैश्राम का मामला इसका उदाहरण है, जिन्हें अपने प्रमाणपत्रों में सही नाम और लिंग दर्ज करवाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा।

हालाँकि **शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009** और **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)** के निर्देश जैसे कानूनी ढांचे समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन इनका ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन बेहद निराशाजनक है, जिससे ट्रांसजेंडर छात्रों को शत्रुतापूर्ण व्यवस्था में अकेले ही संघर्ष करना पड़ता है।

तालिका 2: तुलनात्मक सामाजिक-आर्थिक संकेतक: ट्रांसजेंडर समुदाय बनाम सामान्य जनसंख्या (भारत)

संकेतक	ट्रांसजेंडर समुदाय	सामान्य जनसंख्या
साक्षरता दर (जनगणना 2011)	56.1%	74.04%
कार्यबल भागीदारी दर (जनगणना 2011)	38%	46%
औपचारिक रोजगार से वंचित (NHRC	96%	लागू नहीं (N/A)

2018)		
स्कूल में उपस्थिति (NHRC 2017)	लगभग 50% ने कभी स्कूल नहीं गया	लागू नहीं (N/A) *(काफी अधिक)*

2.2 रोजगार: व्यापक भेदभाव और गरिमामय काम की लड़ाई

शैक्षिक अवसरों की कमी सीधे तौर पर रोजगार में गंभीर बाधाओं में बदल जाती है, जो समुदाय को गरीबी के दुष्चक्र में फंसा देती है। 2018 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा किए गए एक ऐतिहासिक अध्ययन के अनुसार, **96% ट्रांसजेंडर लोगों को औपचारिक क्षेत्र में नौकरी देने से मना कर दिया गया**। यहां तक कि योग्य होने पर भी, **80% ने बताया कि केवल उनकी लिंग पहचान के कारण उन्हें नौकरी नहीं दी गई**। 2011 की जनगणना के आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की **कार्यबल भागीदारी दर 38%** पाई गई, जो **सामान्य जनसंख्या की 46%** दर से कम है।

जो कुछ लोग औपचारिक नौकरी प्राप्त कर पाते हैं, उनके लिए कार्यस्थल भी भेदभाव का एक और स्थान बन जाता है। कलंक, सूक्ष्म अपमान, मौखिक उत्पीड़न और उत्पीड़न की घटनाएं आम हैं, जो अक्सर उन्हें नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर देती हैं। औपचारिक अर्थव्यवस्था से इस तरह की प्रणालीगत बहिष्करण के कारण कई ट्रांसजेंडर लोग भीख मांगना (बधाई लेना), यौन कार्य और नृत्य जैसी पारंपरिक और अस्थिर आजीविकाओं की ओर धकेल दिए जाते हैं, जो उन्हें और अधिक हिंसा, शोषण और स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम में डालती हैं।

हाल के वर्षों में कई कॉर्पोरेशनों ने ट्रांसजेंडर लोगों को नियुक्त करने के लिए विविधता और समावेशन (D&I) पहल शुरू की हैं, लेकिन कार्यकर्ता इन प्रयासों की आलोचना करते हुए उन्हें "सतही" और "निराशाजनक" बताते हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम अक्सर केवल सकारात्मक प्रचार पाने के लिए किए जाते हैं, लेकिन इनमें वास्तविक नौकरी के अवसर नहीं होते, जिससे प्रतिभागी खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं।

2.3 आरक्षण का मूल्यांकन: अधूरी आशा

NALSA निर्णय में शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आरक्षण देने का निर्देश ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन इस नीति के क्रियान्वयन में गंभीर चुनौतियाँ रही हैं, जिससे यह समावेशन केवल दिखावटी बनकर रह गया है। ये नीतियाँ समस्या के अंतिम चरण (रोजगार) को तो संबोधित करती हैं, लेकिन सामाजिक और शैक्षिक व्यवस्था की मूल खामियों को नहीं।

कर्नाटक राज्य इसका एक स्पष्ट उदाहरण है, जहाँ सार्वजनिक नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए **1% आरक्षण** लागू किया गया। 2022 में, जब **150 शिक्षकीय पदों** को आरक्षित किया गया, तब **70,000 आवेदकों** में से केवल **2 आवेदन** ही ट्रांसजेंडर समुदाय से आए। शिक्षा मंत्री ने बताया कि या तो उम्मीदवारों के पास आवश्यक योग्यताएँ नहीं थीं या वे सामाजिक कलंक से डरे हुए थे।

यह उदाहरण बताता है कि **जब शिक्षा की पाइपलाइन ही टूटी हो, तो अंत में दी जाने वाली नौकरी की गारंटी बेअसर हो जाती है।** यदि ट्रांसजेंडर बच्चों को सुरक्षित रूप से अपनी शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं की जाती, तो ऐसे आरक्षण केवल प्रतीकात्मक बनकर रह जाते हैं।

अनुभाग 3: स्वास्थ्य और कल्याण — एक संकटग्रस्त प्रणाली

3.1 स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच और जेंडर-अफर्मिंग देखभाल में बाधाएँ

भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय को स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंचने में कई संरचनात्मक और सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है:

- **अस्पतालों में भेदभाव:** डॉक्टरों की अज्ञानता, अपमानजनक व्यवहार, और गलत लिंग संबोधन आम है।
- **बुनियादी ढाँचे की कमी:** अस्पतालों में जेंडर-न्यूट्रल वार्ड और शौचालय नहीं होते।
- **दस्तावेज़ों की समस्याएँ:** पहचान पत्रों में लिंग/नाम बदलवाना मुश्किल होता है।
- **खर्चीली प्रक्रियाएँ:** HRT और SRS जैसी जेंडर-अफर्मिंग प्रक्रियाएं निजी क्षेत्र में महंगी हैं और सार्वजनिक अस्पतालों में उपलब्ध नहीं होतीं।

इसके चलते कई लोग असुरक्षित उपायों, जैसे बिना प्रमाणित डॉक्टरों से इलाज या आत्म-चिकित्सा की ओर रुख करते हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं। HIV का प्रसार भी इसी से जुड़ा हुआ है: **ट्रांसजेंडर समुदाय में HIV की दर 3.8%–8.2%** के बीच है, जो **राष्ट्रीय औसत 0.3%** से कहीं अधिक है।

3.2 मूक महामारी: मानसिक स्वास्थ्य संकट

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लगातार:

- **कलंक**,
- **भेदभाव**,
- **हिंसा**,
- और **सामाजिक अस्वीकृति** का सामना करना पड़ता है।

Meyer's Minority Stress Theory के अनुसार, यह सामाजिक पूर्वाग्रह **जीवनभर चलने वाले तनाव** का कारण बनता है, जिससे **डिप्रेशन, अकेलापन, आत्महत्या के विचार** आदि होते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी और जेंडर-संवेदी पेशेवरों की अनुपस्थिति के कारण ये समस्याएँ और गहराती हैं। यहां तक कि जेंडर-अफर्मिंग केयर के लिए आवश्यक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन भी अपमानजनक अनुभव हो सकता है।

3.3 सरकारी हस्तक्षेप: SMILE योजना और स्वास्थ्य बीमा

भारत सरकार ने कुछ योजनाएँ शुरू की हैं, जैसे:

- **SMILE योजना** – छात्रवृत्तियाँ, कौशल विकास, और "गरिमा गृह"।
- **Ayushman Bharat TG Plus** – ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, जिसमें जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी शामिल है।

लेकिन इन योजनाओं का **प्रभाव सीमित** रहा है:

- **जटिल आवेदन प्रक्रियाएँ**,
- **डॉक्यूमेंटेशन की बाधाएँ**,
- **जानकारी की कमी**,
- और **ब्यूरोक्रेटिक देरी** इन योजनाओं तक पहुँच को कठिन बनाते हैं।

कुछ राज्य जैसे केरल ने अधिक प्रभावी कदम उठाए हैं। 2015 में शुरू की गई ट्रांसजेंडर नीति और **'करुणा'**, **'सफलम'** जैसी योजनाएँ अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बन सकती हैं।

अनुभाग 4: एक शत्रुतापूर्ण दुनिया में जीवन — हिंसा, स्वीकृति, और सामुदायिक शक्ति

4.1 हिंसा का दायरा: परिवार से लेकर सार्वजनिक स्थान तक

- **परिवार में अस्वीकृति**: ट्रांसजेंडर पहचान को स्वीकारते ही गाली, मारपीट, और बेदखली आम हैं।
- **सार्वजनिक उत्पीड़न**: सड़कों पर छेड़छाड़, सोशल मीडिया अफवाहें, और भीड़ हिंसा जैसी घटनाएँ होती हैं।
- **पुलिस का उत्पीड़न**: पुलिस न केवल शिकायतें दर्ज करने से इनकार करती है, बल्कि कई बार **स्वयं हिंसा और उत्पीड़न** में शामिल होती है।

उदाहरण: 2018 में हैदराबाद में अफवाहों के आधार पर एक ट्रांसजेंडर महिला की भीड़ ने हत्या कर दी।

एक अध्ययन के अनुसार:

- **46% निर्वाण हिजड़े** (जिनका लिंग परिवर्तन हुआ है) और
- **42% अक्वा हिजड़े** (जिनका नहीं हुआ है) ने हाल ही में **शारीरिक हिंसा** झेली थी।
- **39% अक्वा हिजड़ों** ने पिछले वर्ष **बलात्कार** की रिपोर्ट दी।

4.2 सामुदायिक शक्ति: सक्रियता और वैकल्पिक परिवार

सामुदायिक संगठनों और **सक्रिय कार्यकर्ताओं** ने दशकों की लड़ाई लड़ी है:

- **कानूनी बदलावों** (धारा 377 का खंडन, NALSA निर्णय) में भूमिका निभाई।
- **सहायता तंत्र बनाए** — कानूनी सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सहायता।

उदाहरण:

- **सहोदरी फाउंडेशन (कल्कि सुब्रह्मण्यम)**,
- **हुमसफर ट्रस्ट**,
- **TWEET ट्रस्ट**,
- **नज़रिया**।

हिजड़ा परिवार प्रणाली — गुरु और चेला के रूप में — पारंपरिक सहारा प्रणाली है, जो समाज द्वारा ठुकराए गए लोगों को **घर, भोजन और पहचान** देती है।

4.3 बदलते विमर्श: मीडिया में प्रतिनिधित्व

- पहले: ट्रांसजेंडर पात्रों को **हास्य**, **डर** या **दया** के पात्र के रूप में दिखाया गया।
- अब: **OTT प्लेटफ़ॉर्म** पर कुछ सकारात्मक बदलाव आए हैं, जैसे:
  - **"चंडीगढ़ करे आशिकी"**,
  - **"ताली"**,
  - **"पाताल लोक"**,
  - **"मेड इन हेवन"**।

फिर भी आलोचना होती है:

- **सिसजेंडर अभिनेताओं** को ट्रांसजेंडर भूमिकाओं में लेना **अवसर की चोरी** माना जाता है।
- ज़्यादातर कहानियाँ **ट्रांस-फेमिनिन** अनुभवों पर केंद्रित हैं, **ट्रांस-मास्क्यूलिन और नॉन-बाइनरी** पहचानें अब भी अदृश्य हैं।

निष्कर्ष और सुझाव: वास्तविक समानता की ओर एक रास्ता

भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय का जीवन आज भी **कानूनी अधिकारों और ज़मीनी हकीकत के बीच की गहरी खाई** से परिभाषित होता है। NALSA निर्णय की प्रगतिशील दृष्टि से लेकर 2019 के कानून की नौकरशाही सीमाओं तक की यात्रा ने दिखा दिया है कि **केवल कानूनी सुधार पर्याप्त नहीं हैं**।

संसद और न्यायपालिका के लिए सुझाव:

1. **ट्रांसजेंडर अधिकार अधिनियम, 2019 में संशोधन करें** – आत्म-पहचान को ही कानूनी मान्यता का आधार बनाएं।
2. **आपराधिक कानून में समान सुरक्षा सुनिश्चित करें** – ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर हिंसा की सज़ा सामान्य IPC के समकक्ष हो।
3. **वैकल्पिक पारिवारिक संरचनाओं को मान्यता दें** – हिजड़ा घरानों को कानूनी परिवार के रूप में मान्यता मिले।

प्रशासन और सरकार के लिए:

1. **जन-जागरूकता अभियान चलाएँ** – शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य व आम जनता में ट्रांसफोबिया के खिलाफ प्रशिक्षण।
2. **शिक्षण संस्थानों को समावेशी बनाएं** – जेंडर-न्यूट्रल सुविधाएं, एंटी-बुलीइंग नीतियाँ, और समावेशी पाठ्यक्रम।
3. **योजनाओं को सरल और सुलभ बनाएं** – SMILE और TG Plus योजनाओं की पहुँच को बढ़ाएं, CBOs के साथ साझेदारी करें।

सिविल सोसाइटी और कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए:

1. **सतही समावेशन से आगे बढ़ें** – छात्रवृत्तियाँ, प्रशिक्षण, और सुरक्षित कार्यस्थल बनाएं।
2. **प्रामाणिक मीडिया प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें** – ट्रांसजेंडर पात्रों के लिए ट्रांसजेंडर कलाकारों को अवसर दें, विविध पहचानें शामिल करें।

अंततः, हमें एक **सकारात्मक, सक्रिय और ठोस समावेशन** की ओर बढ़ना होगा, ताकि संविधान में वादा की गई **गरिमा, समानता और स्वतंत्रता** भारत के हर ट्रांसजेंडर व्यक्ति की **यथार्थ जीवन में सच्चाई** बन सके।

References

1. Bandyopadhyay, S. (2007). The 'natural' and the 'monstrous': The case of homosexuality in Indian films. *South Asia: Journal of South Asian Studies*, *30*(3), 485-502.
2. Balu, S. (2020). A study on the socio-economic conditions of transgender in Tamil Nadu. *Journal of Critical Reviews*, *7*(12), 104-108.
3. Chua, L. L. (2019). The specific intellectual and the human rights practitioner. In *The everyday life of human rights* (pp. 31-52). University of Pennsylvania Press.
4. Dutta, A. (2020b). From criminality to citizenship: The past, present, and future of transgender and gender-diverse rights in India. *QED: A Journal in GLBTQ Worldmaking*, *7*(2), 1-24.
5. Government of India. (2011). *Census of India 2011*. Office of the Registrar General & Census Commissioner.
6. Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment. (2019). *The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019*.
7. Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment. (2024, August 7). *Welfare of Transgenders*. Press Information Bureau.
8. International Commission of Jurists. (2016). *NALSA v. Union of India: A Primer*.
9. Jha, S. (2016). The transgender community and the right to vote. *Economic and Political Weekly*, *51*(1), 16-18.
10. Lal, B. S. (n.d.). Transgenders Community in India: Socioeconomic, Health, and Psychological Conditions. *Journal of Research in Social Science and Humanities*.
11. National Human Rights Commission. (2018). *A study on human rights of transgender as a third gender*.
12. National Legal Services Authority v. Union of India, AIR 2014 SC 1863 (2014).

13. PRS Legislative Research. (2019). *The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019: Issues for Consideration*.
14. Reddy, G. (2010). *With respect to sex: Negotiating hijra identity in South India*. University of Chicago Press.
15. Thomas, B., Nanda, S., Chakrapani, V., & Grossman, A. H. (2021). Experiences of violence and mental health among gender-diverse individuals in Bangalore, India. *Transgender Health*, *6*(1), 38-46.
16. UNDP. (n.d.). *Skilling for Livelihood: A Study on Transgender People in India*.
17. Centre for Law & Policy Research. (n.d.-a). *Grace Banu Ganeshan & Ors. v. Union of India & anr.* CLPR database. Retrieved from https://translaw.clpr.org.in
18. Centre for Law & Policy Research. (n.d.-b). *Trans Students and Educational Spaces: The Need for Better Policies.* CLPR. Retrieved from https://clpr.org.in
19. DSNLU. (n.d.). *Transgender persons in India: Problems, policies and interventions.* DSNLU. Retrieved from https://dsnlu.ac.in
20. EBSCO. (n.d.). *Hijra (South Asia) | EBSCO Research Starters.* EBSCO. Retrieved from https://www.ebsco.com/research-starters/ethnic-and-cultural-studies/hijra-south-asia
21. Harvard Divinity School. (n.d.). *The Third Gender and Hijras – Religion and Public Life.* Harvard University. Retrieved from https://rpl.hds.harvard.edu
22. International Commission of Jurists. (n.d.). *ICJ Briefing Paper on the implementation of the NALSA decision.* ICJ. Retrieved from https://icj.org
23. LSE Blogs. (n.d.). *Hijras and the legacy of British colonial rule in India.* Engenderings, LSE Blogs. Retrieved from https://blogs.lse.ac.uk
24. NCBI. (n.d.-a). *"Transgender Persons (Protection of Rights) Act" of India: An Analysis of Substantive Access to Rights of a Transgender Community.* PubMed Central. Retrieved from https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov

25. NCBI. (n.d.-b). *Right to Health and Gender-Affirmative Procedure in the Transgender Persons Act 2019 in India.* PubMed Central. Retrieved from https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov
26. NCBI. (n.d.-c). *Comprehending Health of the Transgender Population in India Through Bibliometric Analysis.* PubMed Central. Retrieved from https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov
27. Pioneer Academic Publishing. (n.d.). *Transgenders Community in India Socioeconomic Health and Psychological Conditions.* Pioneerpublisher.com. Retrieved from https://pioneerpublisher.com
28. PRS India. (n.d.). *The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019.* PRS Legislative Research. Retrieved from https://prsindia.org
29. PubMed Central. (n.d.). *Violence and Mental Health Among Gender-Diverse Individuals Enrolled in a Human Immunodeficiency Virus Program in Karnataka, South India.* PMC. Retrieved from https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov
30. Queerbeat. (n.d.-a). *The painful road to corporate employment for India's trans youth.* Queerbeat. Retrieved from https://queerbeat.org
31. Queerbeat. (n.d.-b). *Why Indian cinema keeps ignoring trans masculinity.* Queerbeat. Retrieved from https://queerbeat.org
32. ResearchGate. (n.d.-a). *The Present Scenario of Transgender Individuals in India.* ResearchGate. Retrieved from https://researchgate.net
33. ResearchGate. (n.d.-b). *(PDF) Education of Transgenders in India: Status and Challenges.* ResearchGate. Retrieved from https://researchgate.net
34. ResearchGate. (n.d.-c). *(PDF) Transgenders Community in India Socioeconomic Health and Psychological Conditions.* ResearchGate. Retrieved from https://researchgate.net
35. ResearchGate. (n.d.-d). *(PDF) Violence and Discrimination Against Transgender Community – A Legal Remedial Analysis.* ResearchGate. Retrieved from https://researchgate.net

36. SLIC. (n.d.). *A critique of Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019.* Socio Legal Information Centre. Retrieved from https://slic.org.in
37. Times of India. (n.d.). *NE's 1st trans doctor wins legal battle to have new identity in academic certs.* Times of India. Retrieved from https://timesofindia.indiatimes.com
38. UNAIDS. (n.d.). *Beyond transgender visibility: India works toward employment equity.* UNAIDS. Retrieved from https://unaids.org
39. Wikipedia. (n.d.-a). *Hijra (South Asia).* Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Hijra_(South_Asia)
40. Wikipedia. (n.d.-b). *National Legal Services Authority v. Union of India.* Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/National_Legal_Services_Authority_v._Union_of_Indian
41. Wikipedia. (n.d.-c). *Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019.* Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Transgender_Persons_(Protection_of_Rights)_Act,_2019
42. World Health Organization. (n.d.). *Transgender Healthcare in India: Gaps, Progress & Solutions.* Sahodari Foundation. Retrieved from https://sahodari.org
43. OurHealthMatters. (n.d.). *Gender-Affirming Health Care – Our Health Matters.* Retrieved from https://ourhealthmatters.in
44. IDR Online. (n.d.). *Are trans people's healthcare needs being met?* IDR. Retrieved from https://idronline.org
45. Helplocal. (n.d.). *10 NGOs for Transgender People: Saving and Changing Lives in India.* Retrieved from https://helplocal.in
46. Humsafar Trust. (n.d.). *TRANScend – Humsafar Trust.* Retrieved from https://humsafar.org